App-A
Crm-I

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत _____ मुकाम _____

नानू राम बनाम रतन

किस्म मुकदमा _____ नं. 13 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
11.3.2025	मौल अमल होकर। प्रकरण के समस्त पक्षों अन्तिम अवसर इस आशय से दिया जाता है कि आगामी पेशी पर पेश नहीं होने पर स्वतः बन्द समझा जावे। दिनांक 1.4.2025 को पेश हो।	सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौड़गढ़
1.4.2025	मौल अमल होकर। प्रकरण पेशी नहीं बन्द किया जाता है। बहस तर्कना पत्र पूर्ण गये। संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि भौमा कपासेणी के खातेदार कब्जा 64 में क्षतिग्रस्त आवंटित व अनावंटित के संयुक्त खातेदारी के आधिपत्य है जिस पर अनावंटित के विपक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा पारी गई है। हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया कि गई बहस पर मनन किया। खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारी कि प्रकार उपभोग उपयोग से वंचित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रथम दृष्टया मालवा, सुविधा सन्तुलन व अपूरणीय क्षति प्रकरण के में नहीं बनता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल आगे दोनों पक्षकार से कम हो। आदेश सुनाया गया।	सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौड़गढ़